9/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम चला के खाता सं0 14 व राजस्व ग्राम ज्योतिबानगर के खाता सं0 15 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान के स्थान पर मुरली पुत्र सुलतान गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान है। परन्तु नाम दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का बोलता नाम मुरली पुत्र सुलतान गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत उपभोग बिल, बैंक खाता, टी0सी0, पैन कार्ड में प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान अंकित है जिसकी फोटो प्रतिलिपियां प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने बतौर साक्ष्य स्वयं का व बतौर गवाहान साक्ष्य सुरजा पुत्र कालू, दिलिप पुत्र रामेश्वर का लिखित व नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का बोलता नाम मुरली पुत्र सुलतान गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के सही नाम मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान की पुष्टि प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत उपभोग बिल, बैंक खाता, टी0सी0, पैन कार्ड से व बतौर साक्ष्य स्वयं के व बतौर गवाहान साक्ष्य सुरजा पुत्र कालू, दिलिप पुत्र रामेश्वर के लिखित व नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

आदेश

प्रा0 पत्र0 1017/2022
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
~~चला~~ बागपत नगर	खाता संख्या 14	मुरली पुत्र सुलतान	मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान
ज्योतिबा नगर	खाता संख्या 15	मुरली पुत्र सुलतान	मूलचन्द कुड़ी पुत्र सुल्तान

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी